153

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

इस कार्यालय के पूर्व आदेशांकः शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2019/285 दिनांक : 20.01.2020 के द्वारा शिक्षा विभाग (माध्यमिक एवं प्रारंभिक) में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के स्थाईकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर स्थाईकरण एवं एसीपी मॉड्यूल आरंभ कर संबंधित प्रकरणों के अधिकारी/कार्मिक स्तर से आवेदन से लेकर स्वीकृति आदेश जारी होने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से ही ऑनलाईन सम्पन्न किये जाने बाबत विस्तृत दिशा—निर्देश मय यूजर मैन्युअल जारी किये गये थे। उक्त दिशा—निर्देशों की पालना में विभाग (माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा) अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थाईकरण एवं ए.सी.पी. प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाना है, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन अस्वीकार्य होगा। कार्य की सहजता एवं सुलभता के मद्देनजर इस आदेश के साथ ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधी यूजर मैन्युअल की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के स्थाईकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के ऑनलाईन निस्तारण के संबंध में संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा चाही जा रही जानकारी के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाता हैः—

1. निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पूर्व पत्रांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ—1/900( )/स्थाईकरण/2017 दिनांक : 19.08.2020 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत कार्यरत पंचायत राज नियमों के तहत नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण हो गया है, उनके स्थाईकरण के प्रकरणों को जिला परिषद की स्थाई समिति से अनुमोदनोपरांत स्थाईकरण के आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा स्तर से ऑनलाईन आदेश जारी किये जाने हैं। (प्रति संलग्न)

2. ऐसा देखने में आया है कि परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत केवल वेतन नियमितीकरण के प्रकरण अलग से ऑफलाईन प्रक्रिया अपनाकर सम्पादित किये जा रहे हैं। परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत स्थाईकरण आदेश/वेतन नियमितीकरण आदेश एक ही प्रक्रिया से जारी किये जाने हैं अर्थात् परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत जारी स्थाईकरण स्वीकृति में वेतन नियमितीकरण हेतु जारी स्वीकृति सम्मिलित है एवं उसके आधार पर वेतन निर्धारण संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सकती है। अतः परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरांत वेतन नियमितीकरण हेतु अलग से ऑफलाईन प्रक्रिया सम्पादित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के स्थाईकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति संबंधी प्रकरणों के ऑनलाईन निस्तारण हेतु लागू की गई प्रक्रिया के पीछे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं ऑफलाईन प्रक्रिया में लगने वाले अनावश्यक श्रम, समय एवं साधन की बचत संबंधी उद्देश्य निहित है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक : 20.01.2020 के बिन्दु सं. 1 के उप बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन का प्रिंट लेकर संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारियों/कार्मिकों के स्थाईकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति आवेदन करने के उपरांत **केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र** का प्रिन्ट ही संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना है। संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष/ब्लॉक स्तर/जिला स्तर/राज्य स्तर से किसी भी स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र या संलग्नक की हार्ड कॉपी उच्च स्तर को प्रेषित नहीं की जानी है। प्रकरण में ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज के इतर अन्य किसी दस्तावेज

विशेष की प्रकरण के संबंध में किसी स्तर पर आवश्यकता होने की स्थिति में संबंधित स्तर द्वारा निम्न स्तर से उक्त दस्तावेज मंगवाए जा सकेंगे।

उपर्युक्त आदेशानुसार समस्त संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के स्थाईकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) संबंधित प्रकरणों का निस्तारण शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था के अलावा किसी भी स्तर से एसीपी एवं स्थाईकरण संबंधी प्रकरणों के आवेदन/निस्तारण हेतु अपनाई गई समानान्तर ऑफलाईन प्रक्रिया अस्वीकार्य होगी। ऐसा पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/वो–2/2020 दिनांक : 09.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग, निदेशालय प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
11. सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन–एफ अनुभाग, कार्यालय हाजा।
12. सीबीईओ, समस्त ब्लॉक।
13. पीईईओ समस्त।
14. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर